

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 जनवरी 2003—माघ 7, शक 1924

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2003

अधिसूचना

क्रमांक 125/121/2003/मबावि/26-1.—राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली की सहमति से, श्रीमती विनोदनी मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता, निवासी गरियाबंद, जिला रायपुर (छ. ग.) को राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के नियम तीन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.

अध्यक्ष का कार्यकाल, इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 3 (तीन) वर्ष तक के लिए होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बो. एल. अग्रवाल, विशेष सचिव.

